न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 95/2011 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :—2011/00062

उनवान

1. जगदीश प्रसाद
2. सुरेश कुमार
3. शंकरलाल
4. मुकेश कुमार

} पुत्रान कुन्दनलाल जाति वैश्य निवासी कुम्हेर गेट भरतपुर,तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

5. मिथलेश पुत्री कुन्दन लाल पत्नि मधु जाति वैश्य
6. अनीता पुत्री कुन्दन लाल पत्नि वीरेन्द्र सिंह जाति वैश्य

} निवासी कुम्हेर गेट भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र रतन(मृतक)
   - 1/1. प्रभूदयाल
   - 1/2. प्रकाशचन्द
   - 1/3. भगवती पत्नि स्व0 प्रकाशचन्द
   - 1/4. देवकीनन्दन पुत्र प्रकाशचन्द
   - 1/5. बन्टू पुत्र प्रकाशचन्द
   - 1/6. धर्म सिंह
   - 1/7. सिया उर्फ खैमचन्द
   - 1/8. लक्ष्मन सिंह उर्फ रामजीलाल
   - 1/8. कमला पत्नि सुरेश चन्द पुत्री रतन सिंह

   } पिसरान रतन सिंह — जाति ब्राहम्ण नि0 नावारिया तह0 बयाना जिला भरतपुर।
2. चमेली वेवा दुलीचन्द (मृतक)
3. गोरधन पुत्र दुलीचन्द
4. हेतराम पुत्र दुलीचन्द
5. पदमचन्द पुत्र दुलीचन्द
6. रामदेवी पुत्री दुलीचन्द पत्नी रघुनाथ
7. ग्यासो पुत्री दुलीचन्द विधवा दामोदर लाल
8. रामढकेली पुत्री दुलीचन्द पत्नि मुन्नीलाल

} जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तहसील बयाना जिला भरतपुर।

9. रेशम देवी पुत्री दुलीचन्द पत्नि धनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गाजीपुर हाल बयाना जिला भरतपुर।
10. पता पुत्री दुलीचन्द पत्नि रामदयाल (मृतक)
    - 10/1. शिवनारायन पुत्र रामदयाल
    - 10/2. रमाकान्त पुत्र रामदयाल
    - 10/3. रामदयाल पुत्र लक्खीराम

    } जाति ब्राहम्ण नि0 गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
11. रामो पुत्री दुलीचन्द पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि0 गाजीपुर तह0 बयाना जिला भरतपुर।
12. प्रेम पुत्री दुलीचन्द पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण नि0 करई तह0 नदबई जिला भरतपुर।
13. रामवती पत्नि केदारनाथ जाति वैश्य नि0 फरसो तह0 बयाना जिला भरतपुर।
14. मदनमोहन पुत्र सफेदी(मृतक)
    - 14/1. मनोज पुत्र स्व0 मदनमोहन
    - 14/2. माया पत्नि स्व0 मदनमोहन

    } जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
15. यादराम पुत्र सफेदी (मृतक)
    - 15/1. राधा पत्नि स्व0 यादराम
    - 15/2. अशोक पुत्र स्व0 यादराम

    } जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
16. कुन्दनलाल पुत्र सफेदी
17. रमेशचन्द पुत्र सफेदी
18. जयंती प्रसाद पुत्र सफेदी

} जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19. मुस0 बीना पुत्री सफेदी धर्मपत्नि रामअवतार जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
20. मुस0 विधा देवी पुत्री सफेदी पत्नी बजरंग लाल जाति वैश निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
21. त्रिलोक चन्द पुत्र सफेदी जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर जरिये बलायत व रफायत जयंती प्रसाद भाई।
22. अंगूरी पुत्री मोहनलाल पत्नि सूखालाल निवासी बडा बाजार करौली (राज0)

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 96/2011 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2011/00057

उनवान

1. जगदीश प्रसाद
2. सुरेश कुमार
3. शंकरलाल
4. मुकेश कुमार

} पुत्रान कुन्दनलाल जाति वैश निवासी कुम्हेर गेट भरतपुर, तह0 व जिला भरतपुर।

5. मिथलेश पुत्री कुन्दन लाल पत्नि मधु जाति वैश्य
6. अनीता पुत्री कुन्दन लाल पत्नि वीरेन्द्र सिंह जाति वैश्य

} निवासी कुम्हेर गेट भरतपुर, तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र रतन (मृतक)
   - 1/1. प्रभूदयाल
   - 1/2. प्रकाशचन्द (मृतक)
   - 1/3. भगवती पत्नि स्व0 प्रकाशचन्द
   - 1/4. देवकीनन्दन पुत्र प्रकाशचन्द
   - 1/5. बन्टू पुत्र प्रकाशचन्द
   - 1/6. धर्म सिंह
   - 1/7. सिया उर्फ खैमचन्द
   - 1/8. लक्ष्मन सिंह उर्फ रामजीलाल
   - 1/9. कमला पत्नि सुरेश चन्द पुत्री रतन सिंह

   } पिसरान रतन सिंह
2. चमेली वेवा दुलीचन्द (मृतक)
3. गोरधन पुत्र दुलीचन्द
4. हेतराम पुत्र दुलीचन्द
5. पदमचन्द पुत्र दुलीचन्द
6. रामदेवी पुत्री दुलीचन्द पत्नी रघुनाथ
7. ग्यासो पुत्री दुलीचन्द विधवा दामोदर लाल
8. रामढकेली पुत्री दुलीचन्द पत्नि मुन्नी लाल

} जाति ब्राहम्ण निवासी कुरेका तह0 बयाना जिला भरतपुर।

9. रेशम देवी पुत्री दुलीचन्द पत्नि धनीराम जाति ब्राहम्ण नि0 गाजीपुर हाल बयाना जिला भरतपुर।
10. पता पुत्री दुलीचन्द पत्नि रामदयाल(मृतक)
    - 10/1. शिवनारायन पुत्र रामदयाल
    - 10/2. रमाकान्त पुत्र रामदयाल
    - 10/3. रामदयाल पुत्र लक्खीराम

    } जाति ब्राहम्ण नि0 गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
11. रामो पुत्री दुलीचन्द पत्नि जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि0 गाजीपुर तह0 बयाना जिला भरतपुर।
12. प्रेम पुत्री दुलीचन्द पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण नि0 करई तह0 नदबई जिला भरतपुर।
13. राजेश कुमार पुत्र केदारनाथ(मृतक)
    - 13/1. नीलम पत्नि स्व0 राजेश
    - 13/2. संतोष पुत्र राजेश
    - 13/3. सिद्धार्थ पुत्र राजेश

    } जाति वैश्य निवासी ग्राम फरसो तह0 बयाना जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. विनोद } पिसरान केदारनाथ नाबालिगान वविलायत रमाकान्त मुस0 रामवती पत्नि
15. गोविन्द कुमार } केदारनाथ जाति वैश्य निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।
16. केदारनाथ पुत्र मोहनलाल(मृतक)
    16/1. रामवती पत्नि केदारनाथ
    16/2. बवली
    16/3. गोविन्द } पुत्रान केदारनाथ } जाति वैश्य निवासी ग्राम फरसो तह0 बयाना जिला भरतपुर।
    16/4. राकेश
17. अंगूरी देवी पुत्री मोहनलाल पत्नि सूखालाल जाति वैश्य निवासी बडा बाजार करौली तहसील करौली जिला सवाई माधोपुर(राज0)
18. रामवती पत्नि केदारनाथ जाति वैश्य निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।
19. मदनमोहन पुत्र सफेदी (मृतक)
    19/1. मनोज पुत्र स्व0 मदनमोहन } जाति वैश्य निवासी सीकरी तह0 नगर जिला भरतपुर।
    19/2. माया पत्नि स्व0 मदनमोहन
20. यादराम पुत्र सफेदी (मृतक)
    20/1. राधा पत्नि स्व0 यादराम } जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर
    20/2. अशोक पुत्र स्व0 यादराम
21. कुन्दनलाल पुत्र सफेदी
22. रमेशचन्द पुत्र सफेदी } पिसरान सफेदी विधवा सोहनलाल जाति वैश्य नि0 सीकरी तहसील
23. जयंती प्रसाद पुत्र सफेदी } नगर जिला भरतपुर।
24. त्रिलोक पुत्र सफेदी
25. राजेश कुमार पुत्र केदारनाथ नाबालिगान विलायत रमाकान्त मुस0 रामवती जोजा केदारनाथ जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
26. मुस0 बीना पुत्री सफेदी धर्मपत्नि रामअवतार जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।
27. मुस0 विद्या देवी पुत्री सफेदी पत्नी बजरंग लाल जाति वैश्य निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 12.10.2011 प्रकरण संख्या क्रमशः 57/03, 56/03 उनवान कुन्दनलाल बनाम कौशल्या, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

अभिभाषक :–
1. वकील अपीलाण्ट श्री दिनेश शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक :–29.05.2018

Web Copy - Not Official

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 12.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो की विषय वस्तु, विधि का प्रश्न एवं पक्षकार समान हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने दो पृथक–पृथक दावे अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय के पेश किये कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट/वादी के पिता मोहनलाल बल्द परसादी कौम वैश्य साकिन फरसो थे। अपीलाण्ट/वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, अपीलाण्ट/वादी के पिता के मरने के बाद एक भाई मदनलाल का देहान्त लाबल्द बिला औलाद हो गया एवं

उसकी पत्नि ने दूसरा विवाह कर लिया; इसलिए मोहनलाल के द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति एवं विवादित आराजी के अपीलाण्ट/वादी व मॉ कौशल्या, भाई केदारनाथ व बहन सफेदी, अंगूरी वहिस्सा बराबर हिस्सेदार हैं, इनके अलावा कोई हिस्सेदार नहीं है। इस प्रकार दोनों वादो में वर्णित आराजी में अपीलाण्ट/वादी 1/5 हिस्से का हिस्सेदार है। अपीलाण्ट/वादी के पिता की छोडी हुई, विवादित आराजी का आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड में पिता के मरने के बाद विवादित आराजी का इन्द्राज अकेले अपीलाण्ट/वादी की मॉ मु0 कौशल्या के नाम गलत तरीके से दर्ज हो गया। इन गलत खातेदारी इन्द्राजो के आधार का नाजायज फायदा उठाकर मु0 कौशल्या ने विवादित आराजी बाबत् एक वयनामा अपीलाण्ट/वादी के भाई केदारनाथ की पत्नि रामवती के हक में दिनांक 27.08.1979 को कर दिया एवं उसी दिन रामवती ने उक्त विवादित आराजी का दान–पत्र अपने वारिसों के हक में निष्पादित कर दिया, जो कतई गलत तरीके से गैर कानूनी कराया गया है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है तथा अपीलाण्ट/वादी व रैस्पो0/प्रतिवादीगण का सम्मलित कब्जा काश्त है। मु0 कौशल्या देवी को विवादित आराजी को इस प्रकार विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुस0 कौशल्या का विवादित आराजी में केवल 1/5 हिस्सा बनता है। अतः वाद प्रस्तुत कर यह दादरसी चाही कि दोनों वादो में वर्णित विवादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट/वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी घोषित किया जावें एवं मु0 कौशल्या द्वारा रामवती के हक में तस्दीक कराये वयनामा दिनांक 27.08.1979 व दान पत्र दिनांक 27.08.1979 को अपीलाण्ट/वादी के मुकाबले में शून्य घोषित किया जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वाद कन्सोलिडेट किये जाकर, दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर, तनकी संख्या 03 बाबत् रेसजूडीकेटा व एसटोपिल के सिद्धान्त के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं माने जाकर दिनांक 24.06.1982 को विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी खारिज कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी ने अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहॉ दायर की जो दिनांक 31.03.1983 को स्वीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना का निर्णय दिनांक 24.06.1982 अपास्त किया गया और दोनों वाद पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये गये। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपील दायर की गई, जो निर्णय दिनांक 27.11.1984 से प्रतिप्रेषित बाबत् स्वीकार करते हुए, दोनों दावे में पृथक से नई तनकी (तनकी संख्या 03 ए :– ''आया दावा आदेश 23 के नियम 01 उप नियम 03 को प्रोविजन की वजह से निषेध है'') कायम करते हुए प्रतिप्रषित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 24.07.1991 से अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त आदेश की अपील रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 18.02.2003 से स्वीकार करते हुए, निर्णय दिनांक 24.07.1991 निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को एक नई तनकी '' आया वादी कुन्दनलाल, गंगाप्रसाद को गोद चला गया के क्रम में एवं अन्यथा दानपत्र/वयनामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है'' कायम करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि तनकी संख्या 03 व 03 ए का निर्णय पूर्ववत रहेगा एवं उपरोक्त नई तनकी कायम कर, दोनों पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करते हुए पूर्व तनकी संख्या 01 का निर्णय साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर किया जावें। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

ने दोनों प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2011 से खारिज कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 95/2011 व 96/2011 उनवान जगदीश प्रसाद बनाम घनश्याम इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.02.2003 के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गई है और ना ही तनकी वार निर्णय पारित किया है, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलाण्ट कुन्दनलाल के विधिक वारिसान है एवं कुन्दनलाल का मृतक मोहनलाल द्वारा छोडी गई आराजी में 1/4 हिस्सा है क्योंकि अपीलाण्ट की दादी मु0 कौशल्या व उनके पिता कुन्दनलाल का देहान्त हो चुका है। मृतक कौशल्या ने अपने बयानो में माना है कि कुन्दनलाल मोहनलाल से पैदा पुत्र है। कुन्दनलाल कभी किसी गंगाप्रसाद निवासी भरतपुर को गोद नहीं गया। गोद जाने बाबत् तथ्य रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उठाया गया था तो रैस्पो0 को ही उक्त साबित करना था किन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई गोदनामा बाबत् लिखा पढी या कोई तारीख अथवा किन व्यक्तियों की उपस्थिति में गोद रस्म पूर्ण हुई, गोदनामा आदि कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित आराजी निर्विवाद रूप से मृतक कुन्दनलाल की पैतृक सम्पत्ति रही है इसलिये मृतक कुन्दनलाल का मोहनलाल की मृत्यु के बाद अपनी मॉ कौशल्या भाई केदारनाथ व दो बहिनो के साथ व हिस्सा बराबर 1/5–1/5 बनता है। किन्तु दौराने दावा मॉ कौशल्या का देहान्त हो जाने के कारण उसका हिस्सा उक्त सभी वारिसों ने विरासत में प्राप्त किया है अतः सम्पूर्ण आराजी में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा बनता है एवं काबिज रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि क्रेतागण का विवादित आराजी के किसी भू भाग से कोई संबध सरोकार नहीं है उन्हें कोई कब्जा हस्तानान्तरित नहीं हुआ है। वैसे भी विवादित आराजी के विक्रय, दान व अन्य किसी प्रकार से हस्तानान्तरण करने का अधिकार मृतक कौशल्या को नहीं था। अगर ऐसा कोई तथा कथित दान, वयनामा या अन्य कोई हस्तानान्तरण हुआ है तो वह गैर कानूनी रूप से किया गया है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे तथा कथित विक्रय व दान पत्र को अवैध व बेअसर घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को है क्योंकि ऐसे हस्तानान्तरण शून्य है ना कि शून्य करणीय। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने क्रेतागणो के कानूनी अधिकार मानने में व उन्हें शून्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र स्वयं को नहीं मानने में गम्भीर त्रुटि की है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1996 पेज 161, 1990 पेज 41, 2001 पेज 415, 2002 पेज 691 एवं ए0आई0आर0 1972 आ0प्र0 पेज 250 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, दावा अपीलाण्ट/वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने लिखित बहस पेश करते हुए, जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 सदभावी क्रेतागण है तथा प्रतिफल देकर कृषि भूमि क्रय की है और क्रय करने के बाद राजस्व रिकार्ड में व मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। विक्रय पत्र दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.08.1979 व 25.06.1982 व दान पत्र पंजीकृत प्रलेख है। जिन्हे अवैध घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक (सिविल) न्यायालय को है। वर्तमान प्रकरण में विक्रय पत्र व दान पत्र को कैंसिल वोइडेबिल कराये बिना अपीलाण्ट को खातेदारी देने के अनुतोष पर राजस्व न्यायालय विचार नहीं कर सकता। इसलिये राजस्व न्यायालय को दावा सुनवाई का अधिकार नहीं है केवल दीवानी न्यायालय को है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि प्राकृतिक मॉ कौशल्या के जवाब दावा दिनांक 15.10.1979 की चरण संख्या 09 में विशेष कथन में किये गये अभिवचन महत्वपूर्ण हैं जिसमें उसने अभिकथन किया है कि गंगाप्रसाद निवासी भरतपुर ने अपीलाण्ट को 12 वर्ष की उम्र में ही गोद ले लिया तथा अपीलाण्ट दत्तक पुत्र की हैसियत से गंगाप्रसाद के यहॉ भरतपुर में ही रहने लग गया और गंगाप्रसाद की सम्पत्ति अपीलाण्ट को मिली तथा मोहनलाल के परिवार की सम्पत्ति से उसके हकूक समाप्त हो गये। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1988 पेज 170, 1989 पेज 430, 1991 पेज 321, 1983 पेज 676, 2003 पेज 262, 1984 पेज 872, आर0आर0टी0 2013(1)पेज 475 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत दोनों दावों की वर्तमान अपीलों में, जैसा कि इस निर्णय के पैरा संख्या 03 में वर्णित किया गया है, माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तक कई निर्णय पारित किये जा चुके हैं। हस्तगत अपीले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 12.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो उनके द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 18.02.2003 की पालना में पारित किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति है कि तहत न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.02.2003 के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी हैं एवं ना ही तनकीवार निर्णय ही पारित किया गया है एवं ना ही रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के गोद चले जाने के तथ्य को साबित करने हेतु कोई गोदनामा ही पेश किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट का वाद खारिज करने में भूल की है। हम पाते हैं कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.02.2003 से अपील स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित की गयी थी कि तनकी संख्या 03 व 03 ए का निर्णय पूर्ववत् रहेगा एवं आया वादी कुन्दनलाल, गंगाप्रसाद को गोद चला गया के क्रम में एवं अन्यथा दानपत्र का वयनामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हैं बाबत् तनकीयात् कायम करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के उक्त निर्देशों की पालना ना करते हुए, प्रकरण में निर्देशित तनकी की कोई विवेचना नहीं की गई हैं। अन्य तनकियों की भी स्पष्ट विवेचना निर्णय में नहीं है। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्तियों का प्रश्न है रैस्पो0 द्वारा अपने कथन कि वादी कुन्दनलाल, गंगाप्रसाद को गोद चला गया के क्रम में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा गोदनामा, गोदनामा किस तारीख को हुआ, किन व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना दस्तावेजी साक्ष्य, मात्र मौखिक कथन एवं दावें में उल्लेख के आधार पर रैस्पो0 के उक्त कथन तर्कसंगत नहीं माने जा सकते। यह सही है कि पंजीयन दस्तावेज, वयनामा, दान पत्र अथवा अन्य कोई हस्तानान्तरण विलेख को नल एण्ड वॉईड किये जाने का क्षेत्राधिकार, राजस्व न्यायालय को नहीं है परन्तु अपीलाधीन वाद में मुख्य अनुतोष उक्त दस्तावेजो को निरस्त कराये जाने बाबत् नहीं, अपितु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 का प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को सरसरी तौर पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/वादी के कथित दान, वयनामा या अन्य कोई हस्तान्तरण के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, प्रकरण का परीक्षण किया जाना न्यायहित में वांछनीय हैं। लिहाजा हम अपील आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2011 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार, उभयपक्ष को पुनः समग्र साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः तनकीवार, तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official